वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 01.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला,दैनिक जागरण, न्यायाधीश, तरुणमित्र,," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 01.10.2025

पुराने अभिलेखों के संरक्षण में जुटा वीडीए

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर पुराने अभिलेखों और मानचित्रों के संरक्षण, एकीकृत कीट प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी प्रणाली शुरू हो गई है। लागत 14,99,844 रुपये है। कार्य इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इंटैक) लखनऊ को को सौंपा गया है। 1930 से 1950 तक के 26 मानचित्रों, 1957 के बाद की 95 पत्रावलियों के 5210 पृष्ठों का वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा। वर्तमान में अभिलेखों और मानचित्रों के संरक्षण का कार्य विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। आगामी दो माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इंटैक ने वीडीए के चयनित कर्मचारियों को अभिलेख संरक्षण की आधुनिक तकनीकों, जैसे कीट प्रबंधन, नमी नियंत्रण, पर्यावरणीय निगरानी से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 01.10.2025

दो अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से मंगलवार को दो अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। शीतल नगर कॉलोनी में अमितांचल सिंह ने 225 वर्गमीटर के दो तल के मकान को सील किया था। सील तोड़कर अवैध निर्माण किया जा रहा था। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा की अगुवाई में कार्रवाई की गई। नगवां के साकेत नगर कॉलोनी, संकटमोचन फिजियोथिरैपी, रिहैब सेंटर के सामने अंकुल अग्रवाल की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृत 210 वर्गमीटर के भूखंड पर अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। भूतल पर दीवार खड़ी कर गोदाम के निर्माण पर नोटिस दिया गया था। काम जारी रखने पर अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार की अगुवाई में कार्रवाई की गई। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण –दि0 01.10.2025

वीडीए ने सील किया दो अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर मंगलवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि नगवां वार्ड के साकेत नगर कालोनी में संकटमोचन फिजियोथेरेपी एवं रिहैबिलिस सेंटर के सामने अंकुर अग्रवाल समेत अन्य लोग बिना नक्शा पास कराए करीब 210 वर्गमीटर में निर्माण कर रहे थे।

निर्माण बंद करने के साथ भवन स्वामी को नक्शा दाखिल करने को कहा था, लेकिन निर्माण जारी रहा। उक्त भवन को सील कर दिया गया। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड में जीवन दीप स्कूल के सामने शीतल नगर कालोनी में अमितांचल सिंह करीब 225 वर्ग मीटर में निर्माण कर रहे थे, जिससे पूर्व में सील किया गया था। निर्माण जारी रहने पर उक्त भवन को दोबारा सील करने के साथ भवन स्वामी को चेतावनी दी गई है।

दैनिक जागरण –दि0 01.10.2025

वीडीए का ध्वस्तीकरण कार्रवाई का आदेश रद

विधि संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वीडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई संबंधी आदेश रद कर दिया है। कहा है कि फ्लैट स्वामी को सुनवाई का मौका दिए बगैर पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लघंन है। कोर्ट ने प्राधिकरण को नियमानुसार नए सिरे से याची को सुनकर कार्रवाई करने के लिए प्रकरण वापस कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने शैलजा शर्मा और अन्य व दिनेश चंद्र यादव की याचिका पर दिया है। मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि वाराणसी के बजरडीहा इलाके में एक प्लाट पर बिल्डर ने भू-स्वामी के साथ करार कर प्राधिकरण से नक्शा पास कराकर 2014 में भवन निर्माण किया। याची शैलजा शर्मा ने 2016 में एक फ्लैट (नंबर 23, दूसरी मंजिल) पर खरीदा। बाद में भूस्वामी और बिल्डर के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के चलते वीडीए ने निर्माण में हुई कथित गड़बड़ियों के आधार पर 19 अगस्त, 2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया। याची ने वीडीए के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 01.10.2025

जोन-04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-नगवाँ, साकेत नगर कालोनी, संकटमोचन फिजियोपिरैपी एवं रिहैब सेन्टर के सामने अंकुर अग्रवाल व अन्य द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 210 वर्गमीटर के भूखण्ड क्षेत्रफल में भूतल पर दिवाल खड़ा कर एवं लोहे का कॉलम खड़ा कर गोदाम का निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (ग), व 28 (ग) के अन्तर्गत दिनांक 17.09.2025 को नोटिस की कार्यवाही की गयी है। वर्तमान में स्थल पर निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण कार्य जारी रखने के कारण आज दिनांक 30.09.2025 को कार्य बन्द कराते हुए अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश –दि0 01.10.2025

स्किल डेवलपमेण्ट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

वाराणसी। शासन के आदेशानुक्रम में 30.09.2025 को उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में मिशन कर्मयोगी के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्किल डेवलपमेण्ट हेतु एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता नोडल अधिकारी श्री आनन्द प्रकाश तिवारी द्वारा की गई।कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु नवीनतम दिशा-निर्देशों एवं व्यवहारिक ज्ञान से अवगत कराना रहा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आचरण, सभ्यता, कर्तव्यनिष्ठा तथा परायणता जैसे मूलभूत गुणों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, आई गॉट पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए विभिन्न मॉड्यूल्स व कार्यक्रमों के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सामग्री से भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आयोजित यह प्रशिक्षण न केवल कार्यप्रणाली की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक होगा, बल्कि अधिकारियों व कर्मचारियों को जनहित में और अधिक उत्तरदायी तथा संवेदनशील बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि किस प्रकार ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता एवं नैतिक कार्यशैली के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है।

न्यायाधीश–दि0 01.10.2025

पुराने अभिलेखों एवं मानचित्रों के संरक्षण एकीकृत कीट प्रबंधन तथा पर्यावरण निगरानी प्रणालीका कार्य प्रारंभ

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार पुराने अभिलेखों एवं मानचित्रों के संरक्षण एकीकृत कीट प्रबंधन तथा पर्यावरण निगरानी प्रणालीका कार्य प्रारंभ हो गया है। इस कार्य की कुल लागत 14,99,844/- है।इस कार्य का दायित्व डइंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज लखनऊ को सौपा गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 1930 से 1950 तक के 26 मानचित्रों तथा वर्ष 1957 के पश्चात की 95 पत्रावलियों के लगभग 5210 पृष्ठों का वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा। वर्तमान में अभिलेखों एवं मानचित्रों के संरक्षण का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ हो चुका है, जिसे आगामी दो माह की अवधि में पूर्ण करने का लक्षय रखा गया है।इसके उपरांत, छ्ॐण् द्वारा प्राधिकरण के चयनित कर्मचारियों को अभिलेख संरक्षण की आधुनिक तकनीकों–जैसे कीट प्रबंधन, नमी नियंत्रण एवं पर्यावरणीय निगरानी–से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।यह परियोजना न केवल प्राधिकरण के ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करेगी, बल्कि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित व सुलभ बनाने में भी सहायक होगी।

तरूणमित्र –दि0 01.10.2025

वीडीए में पुराने अभिलेखों एवं मानचित्रों के संरक्षण का कार्य शुरू

□ एकीकृत कीट प्रबंधन तथा पर्यावरण निगरानी प्रणाली का कार्य भी हुआ प्रारंभ

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार पुराने अभिलेखों एवं मानचित्रों के संरक्षण, एकीकृत कीट प्रबंधन तथा पर्यावरण निगरानी प्रणाली का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस कार्य की कुल लागत 14,99,844 रु है इस कार्य का दायित्व इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH), लखनऊ को सौंपा गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 1930 से 1950 तक के 26 मानचित्रों तथा वर्ष 1957 के पश्चात की 95 पत्रावलियों के लगभग 5210 पृष्ठों का वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा।

वर्तमान में अभिलेखों एवं मानचित्रों के संरक्षण का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ हो चुका है, जिसे आगामी दो माह की अवधि में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है इसके उपरांत, INTACH द्वारा प्राधिकरण के चयनित कर्मचारियों को अभिलेख संरक्षण की आधुनिक

तकनीकों–जैसे कीट प्रबंधन, नमी नियंत्रण एवं पर्यावरणीय निगरानी–से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।यह परियोजना न केवल प्राधिकरण के ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करेगी, बल्कि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित व सुलभ बनाने में भी सहायक होगी।